# राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0 सं0— 01—स्था0—(भूदान)—54 / 2018— 2362

प्रेषक,

सुरेन्द्र झा, भा.प्र.से. (2006)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः— 11-10-2018

विषयः— भूदान में प्राप्त भूमि एवं भूदान पर्चा से संबंधित प्राप्त परिवादों का समुचित निष्पादन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आए दिन काफी संख्या में भूदान में प्राप्त भूमि एवं तत्संबंधी वितरित पर्चा से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं0—626, दिनांक— 27.06.2018 के द्वारा भूदान यज्ञ समिति को विघटित कर दिया गया है एवं विघटन अवधि के लिए समिति में निहित कर्त्तव्य, शक्ति एवं कार्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना में सन्निहित कर दिया गया है।

इस क्रम में राजस्व पर्षद के कार्यालय आदेश—1743, दिनांक—25.07.2018 के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि भूदान के जिला कार्यालय मंत्री सीधे जिला समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

भूदान में प्राप्त भूमि से संबंधित दान—पत्रों तथा भूमि के वितरण प्रमाण—पत्रों एवं अन्य विषयक प्राप्त शिकायतों / परिवादों की समुचित जाँच किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिला के भूदान से प्राप्त भूमि के वितरण एवं वितरित पर्चा से संबंधित शिकायतों का समुचित निष्पादन बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

11/10/18

(सुरेन्द्र झा)
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।